IX भुगतान और निपटान प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक ने कम-नकदी का इस्तेमाल करने वाले समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत और सुरक्षित भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। इस दिशा में, रिज़र्व बैंक ने विजन 2018 जारी किया जिसमें विनियमन को भुगतान के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवोन्मेषों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसे भुगतान प्रणाली के ऑपरेटरों के संवर्धित पर्यवेक्षण, ग्राहक शिकायत व्यवस्थाओं में सुधार और भुगतान बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से पूरा किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक भुगतान के क्षेत्र में नवोन्मेषों का वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में संवर्धन और सरकारी लेनदेनों के लिए उन्नत सक्षमता और विस्तार हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.1 विभाग ने विनियामकीय फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया के माध्यम से 'कम-नकदी' समाज में अंतरित होने के अपने प्रयास को जारी रखा। यह फ्रेमवर्क उभरती गतिविधियों और नवोन्मेषों के प्रति उत्तरदायी है। अन्य बातों के बीच भुगतान सेवाओं के लिए बहु चैनलों और उत्पादों के साथ बुनियादी सुविधाओं में संवर्धन से ग्राहक आधार व्यापक हो गया है।

भुगतान प्रणालियों की प्रवृत्ति और प्रगति

IX.2 कुल मिलाकर, वर्ष 2015-16 के दौरान मात्रा और मूल्य में क्रमशः 49.5 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भुगतान और निपटान प्रणालियों ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में अंतरित करने के रिज़र्व बैंक के प्रयास उच्च मात्राओं में प्रतिबिंबित हुए जिन्हें वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत देखा गया (तालिका IX.1)। मात्रा के मामले में, कुल लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 84.4 प्रतिशत हो गई। मूल्य के मामले में इनकी हिस्सेदारी 94.6 प्रतिशत से बढ़कर 95.2 प्रतिशत हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.3 मार्च 2016 के अंत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) की सुविधा कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेटों के अतिरिक्त, 172 बैंकों की 130,013 शाखाओं में उपलब्ध थी। एनईएफटी में 1.2 बिलियन लेनदेन किए गए जिनका मूल्य लगभग ₹83 ट्रिलियन रहा और यह पिछले वर्ष के ₹60 ट्रिलियन के 928 मिलियन लेनदेनों से ऊपर था। मार्च 2016 में एनईएफटी ने अब तक सबसे अधिक मासिक 129 मिलियन लेनदेनों को संसाधित किया।

IX.4 वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग ₹2.4 ट्रिलियन के मूल्य के 786 मिलियन लेनदेन क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किए गए जबकि ₹1.6 ट्रिलियन मूल्य के 1.2 बिलियन लेनदेन डेबिट कार्डों के माध्यम से किए गए। प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) वर्ग के तहत ₹488 बिलियन के मूल्य के 748 मिलियन लेनदेन दर्ज किए जबकि पिछले वर्ष ₹212 बिलियन मूल्य के 314 मिलियन लेनदेन दर्ज किए गए थे। मोबाइल बैंकिंग सेवा वृद्धि मात्रा के मामले में 126.6 प्रतिशत तक और मूल्य के मामले में 290.3 प्रतिशत तक बढ़ गई जिसमें इस वर्ष के दौरान ₹4 ट्रिलियन के मूल्य के 389 मिलियन लेनदेनों को नियंत्रित किया गया।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकार

IX.5 प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर की संख्या 71 रही, जिनमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अतिरिक्त पीपीआई निर्गमकर्ता, सीमापार मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर, एटीएम नेटवर्क तुरंत मुद्रा अंतरण सुविधा प्रदाता और कार्ड भुगतान नेटवर्क शामिल

सारणी IX.1 भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधाएं (एनआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	81.1	92.8	98.3	734,252	754,032	824,578
वित्तीय बाजार का कुल समाशोधन (2+3+4)	**2.6**	**3.0**	**3.1**	**621,570**	**672,456**	**721,094**
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	175,262	167,646	178,335
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.9	1.0	1.0	161,848	179,372	183,502
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.5	1.8	1.9	284,460	325,438	359,257
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	**83.7**	**95.7**	**101.4**	**1,355,822**	**1,426,488**	**1,545,672**
खुदरा भुगतान						
कुल पेपर समाशोधन (5+6+7)	**1,257.3**	**1,195.8**	**1,096.4**	**93,316**	**85,439**	**81,861**
5. सीटीएस	591.4	964.9	958.4	44,691	66,770	69,889
6. एमआईसीआर समाशोधन	440.1	22.4	0.0	30,943	1,850	0
7. गैर-एमआईसीआर समाशोधन	225.9	208.5	138.0	17,682	16,819	11,972
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	**1,108.3**	**1,687.4**	**3,141.6**	**47,856**	**65,366**	**91,408**
8. ईसीएस डीआर	192.9	226.0	224.8	1,268	1,740	1,652
9. ईसीएस सीआर	152.5	115.3	39.0	2,492	2,019	1,059
10. एनईएफटी	661.0	927.6	1,252.9	43,786	59,804	83,273
11. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)	15.4	78.4	220.8	96	582	1,622
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	86.5	340.2	1,404.1	215	1,221	3,802
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	**1,261.8**	**1,737.7**	**2,707.2**	**2,575**	**3,325**	**4,484**
13. क्रेडिट कार्ड	509.1	615.1	785.7	1,540	1,899	2,407
14. डेबिट कार्ड	619.1	808.1	1,173.5	955	1,213	1,589
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	133.6	314.5	748.0	81	212	488
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15)	**3,627.4**	**4,620.9**	**6,945.2**	**143,748**	**154,129**	**177,752**
कुल योग (1 से 15)	**3,711.1**	**4,716.6**	**7,046.6**	**1,499,570**	**1,580,617**	**1,723,425**

टिप्पणी: 1. तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. संपार्श्विक उधार और उधार बाध्यता (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) से होता है।
3. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) में अंतरित कुल चेक मात्रा के परिणामस्वरूप, अभी तक की स्थिति के अनुसार देश में कोई भी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नीशन (एमआईसीआर) चेक प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) नहीं है।
4. कार्डों के आंकड़े केवल पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) में हुए लेनदेनों के लिए हैं।
5. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 29 दिसंबर 2012 को शुरू किया गया था जिससे कि अंतर-बैंक, उच्च मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा दी जा सके। ये लेनदेन स्वरूप में बार-बार होने वाले और आवधिक हैं।
6. ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा डीआरः डेबिट, सीआरः क्रेडिट, एनईएफटीः राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।
7. कॉलमों में दिए गए आंकड़ों को पूर्णांकन के कारण कुल में जोड़ा नहीं जा सका।

हैं। पीपीआई परिचालित करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की संख्या बढ़कर 42 हो गई जिनमें नौ संस्थाओं को वर्ष 2015-16 में प्राधिकृत किया गया। मार्च 2016 के अंत तक डब्ल्यूएलए परिचालित करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की संख्या आठ रही जिनमें से सात संस्थाओं ने संस्थापन और परिचालन की प्रक्रिया शुरू की, इन्होंने सामूहिक रूप से 12,962 डब्ल्यूएलए संस्थापित किए।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूचीः कार्यान्वयन स्थिति

भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली, विज़न 2018

IX.6 रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विज़न दस्तावेज 23 जून 2016 को प्रकाशित किया जिसमें दिसंबर 2018 तक देश में भुगतान प्रणालियों की रूपरेखा दी गई है (बॉक्स IX.1)। विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा 5सी के इर्द-गिर्द घूमती है जैसे

(i) **कवरेज़** - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की व्यापक पहुंच समर्थ बनाकर, (ii) **कन्विनियंस** - सहज उपयोग और उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के आसान उपयोग के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुभव में संवर्धन करके, (iii) **कॉन्फिडेंस** - प्रणालियों की सत्यनिष्ठा,

बॉक्स IX.1

भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां: विज़न 2018

उत्तरदायी विनियमन, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रभावी पर्यवेक्षण और ग्राहक ग्राहकोन्मुख के माध्यम से कम नकदीवाला भारत बनाने के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियां बनाना

कार्यनीतिक पहलें			
उत्तरदायी विनियमन	**मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर**	**प्रभावी पर्यवेक्षण**	**ग्राहकोन्मुख**
1. उभरती गतिविधियों और नवोन्मेष के साथ नीति का उन्मुखीकरण करना • नई नीति बनानाः केंद्रीय काउंटर पार्टियों (सीसीपी) के लिए नीतिगत ढांचा; प्राधिकृत संस्थाओं हेतु बाहर निकलने संबंधी नीति; दंड लगाने के लिए ढांचा; भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटरों का विनियमन; नई प्रौद्योगिकियों के लिए निगरानी ढांचा। • मौजूदा नीतियों/दिशानिर्देशों की समीक्षाः पीपीआई; मोबाइल बैंकिंग; डब्ल्यूएलए; मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए नोडल लेखा।	1. तीव्र भुगतान सेवाओं की सुविधा देना • एनईएफटी - अधिक बारंबार निपटान चक्र और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के संदेश प्रारूप को अपनाने की व्यवहार्यता का पता लगाना। • मोबाइल बैंकिंग - मोबाइल बैंकिंग सेवाओं हेतु ग्राहक के लिए पंजीकरण के विकल्पों में बढ़ोतरी; -गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए बहु-भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की व्यापक पहुंच को समर्थ बनाना। • नवोन्मेष मोबाइल आधारित भुगतान समाधानों को प्रोत्साहित करना।	1. भुगतान और निपटान इन्फ्रास्ट्रक्चर के आघात-सहनीयता का आकलन जिसमें वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) और प्रणाली व्यापक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां (एसडब्ल्यूआईपीएस) शामिल हैं : • आघात-सहनीयता के परीक्षण के लिए तैयार ढांचा। • संप्रेषण/संदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर की आघात-सहनीयता। • भुगतान प्रणाली संचालनों (पीएसओ) की आईटी प्रणालियों की आघात-सहनीयता। • एक प्रणाली के लेनदेनों को दूसरी प्रणाली में प्रोसेस करने के लिए क्षमता-निर्माण।	1. ग्राहक शिकायत समाधान व्यवस्था को मजबूत बनाना • प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में संवर्धित ग्राहक शिकायत समाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश बनाना। • ऐसे स्टाफ-सदस्य, जिनसे ग्राहक सीधे संपर्क करते हैं और एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए भुगतान प्रणालियों की आवश्यकता है।
2. परामर्शदात्री प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योग और सरकारी प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों की भुगतान प्रणाली परामर्शदात्री परिषद (पीएसएसी) का गठन करना ।	2. पहुंच में सुधार करना • स्वीकार्यता इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करना। • भारत बिल भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन। • व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली का कार्यान्वयन।	2. निगरानी ढांचा तैयार करना • पीएसओ के जोखिमों के समानुपात के आधार पर। • बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों, खुदरा भुगतान प्रणालियों (आईएस लेखापरीक्षा सहित), बीबीपीएस और टीआरईडीएस के लिए।	2. ग्राहक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना • इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात)। • ढांचा जिसमें पीएसओ के लिए शुल्क और सेवा संबंधी नियम और शर्तें प्रकट करना अपेक्षित है।

(जारी...)

3. पीएसएस अधिनियम में संशोधन • पीएसओ का उन्नत अभिशासन। • सीसीपी/एफएमआई का संकल्प। • सीसीपी के साथ संपार्श्विक पर प्रभार का गैर-पंजीकरण।	3. अंतःप्रचालनीयता को बढ़ावा देना • एकीकृत भुगतान इंटरफेस • टोल संग्रह । • मास ट्रांजिट प्रणालियों का भुगतान।	3. धोखाधड़ी निगरानी सहित रिपोर्टिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण • भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा आवधिक विवरणियों की रिपोर्टिंग को एक्सबीआरएल मंच पर भेजना । • भुगतान प्रणालियों में धोखाधड़ियों पर आंकड़ों के संग्रह के लिए ढांचा बनाना।	3. ग्राहक हित की रक्षा • पीएसओ को मजबूत धोखाधड़ी और जोखिम निगरानी प्रणालियां विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। • अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के लिए ग्राहक देयता सीमित करने संबंधी ढांचा बनाने का प्रयास करना।
4. वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना • वित्तीय संस्थाओं द्वारा विधिक संस्था पहचानकर्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • केंद्रीय बैंक मुद्रा में लंबित वित्तीय लेनदेनों का निपटान।	4. बचाव और सुरक्षा में संवर्धन • ईएमवी चिप और पिन कार्डों में अंतरण। • चिप आधारित एटीएम पर ईएमवी कार्ड प्रोसेसिंग। • एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को पूरी तरह से सुदृढ़ करके एटीएम लेनदेनों की सुरक्षा। • *आधार* पर आधारित सत्यापन की व्यवहार्यता की जांच करना।	4. आंकड़ों का विश्लेषण करना और रिपोर्टें प्रकाशित करना • चयनित खुदरा और बड़े मूल्य की प्रणालियों की निगरानी रिपोर्ट। • रिजर्व बैंक के अंदर भुगतान प्रणाली संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण।	4. सकारात्मक पुष्टि • आरटीजीएस प्रणाली में विप्रेषक को भुगतान की सकारात्मक पुष्टि भेजने संबंधी विशेषता शामिल करना। • एनईएफटी की सकारात्मक पुष्टि विशेषता को सुदृढ़ करना।
	5. चेक समाशोधन प्रणालियां • राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी चेकों के लिए अनुवर्ती व्यवस्था के लिए कागजी कार्रवाई को समाप्त करने का प्रयास करना। • सकारात्मक भुगतान व्यवस्था, चेक इमेज के संबंध में नेशनल आर्काइव के उपयोग को प्रोत्साहित करना। • चेकों के सीटीएस-2010 मानकों में पूर्ण अंतरण को बढ़ावा देना।		5. ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करना • भुगतान प्रणालियों के विशिष्ट पहलुओं पर उपयोगकर्ता/ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न हितधारकों/व्यावसायिकों के साथ कार्य करना।

परिचालनों की सुरक्षा और ग्राहक संरक्षण को प्रोत्साहित करके, (iv) **कन्वर्जेंस** - सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-परिचालन सुनिश्चित कर तथा (v) **कॉस्ट** - उपयोगकर्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के लिए सेवाओं को लागत प्रभावी बनाकर। 'कम नकदी' समाज की तलाश में विज़न-2018 के निम्न परिणाम की अपेक्षा है जैसे (i) पेपर आधारित समाशोधन लिखतों की हिस्सेदारी में निरंतर कमी, (ii) खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के वैयक्तिक खंडों अर्थात एनईएफटी, आईएमपीएस, कार्ड लेनदेन तथा मोबाइल बैंकिंग में लगातार वृद्धि, (iii) मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहक आधार में वृद्धि, (iv) स्वीकृत बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि और (v) भुगतान प्रणालियों में आधार का त्वरित उपयोग।

IX.7 वर्ष 2015-16 की कार्यसूची में शामिल गतिविधियों सहित, वर्ष के दौरान की गई गतिविधियां को व्यापक रूप से ऐसी कार्रवाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो भुगतान प्रणालियों के विनियमन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यवेक्षण पर डालते हैं और ग्राहक हितों के लिए प्रवृत्त थे।

उत्तरदायी विनियमन

कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर

IX.8 वर्ष 2015-16 की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार, 'कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर' पर एक अवधारणा पेपर तैयार किया गया। इस पेपर में सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि और डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेन्ट बट्टा दरों (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाने सहित कार्डों के उपयोग में बढ़ोतरी करने की बहु-आयामी कार्यनीति की रूपरेखा दी गई है। इस पेपर पर अभिमत/ फीडबैक प्राप्त करने के लिए इसे मार्च 2016 की शुरुआत में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था।

भुगतान गेटवे और एग्रीगेटर

IX.9 बिल भुगतानों का कार्य करने वाले भुगतान एग्रीगेटर और गेटवे को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के तहत कवर किया जा रहा है और इसलिए कारोबार में बने रहने के लिए उनसे अपेक्षित है कि प्राधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करें। अन्य भुगतान एग्रीगेटर और गेटवे जो बिल भुगतान का कार्य नहीं करते हैं, के संबंध में विनियामकीय ढांचे का निर्माण करने की व्यवहार्यता/वांछनीयता की जांच बीबीपीएस के पूर्ण परिचालन के बाद की जाएगी।

पीपीआई-एमटीएस की शुरुआत

IX.10 छोटे मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सुविधा प्रदान करने के लिए सामूहिक अंतरण प्रणाली (पीपीआई-एमटीएस) के लिए ₹2,000 तक की राशि के लिए अर्ध-बंद (सेमी-क्लोज्ड) पीपीआई की शुरुआत की गई।

प्राधिकृत संस्थाओं के लिए बाहर निकलने संबंधी नीति

IX.11 उपभोक्ताओं के हित और यह कि अन्य हितधारकों के हित सुरक्षित हैं, को सुनिश्चित करने के लिए बाहर निकलने संबंधी नीति की शुरुआत की गई है, जिसमें एक खुदरा भुगतान प्रणाली (नामतः पीपीआई निर्गमकर्ता और मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) - सीमापारीय मूलधन राशि) के रूप में परिचालित करने के लिए प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) से स्वैच्छिक रूप से निकलने के मानदंड और प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

भुगतान प्रणाली नवोन्मेष पुरस्कार

IX.12 भुगतान और निपटान प्रणालियों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2015 में 'भुगतान प्रणाली नवोन्मेष पुरस्कारों' की घोषणा की। यह प्रतियोगिता बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) जो रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है, द्वारा आयोजित की गई।

मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर

टीआरईडीएस और बीबीपीएस का प्राधिकार

IX.13 व्यापार प्राप्तियां और बट्टा प्रणाली एक संस्थागत व्यवस्था है जिसके तहत बहु-वित्तपोषकों के जरिए कार्पोरेट क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की व्यापार प्राप्य राशि के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाती है। भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत टीआरईडीएस स्थापित और परिचालित करने के लिए तीन संस्थाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है। बीबीपीएस एक अखिल भारतीय अंतःप्रचालनीय बिल भुगतान प्रणाली है। एनपीसीआई को भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के

लिए सैद्धांतिक प्राधिकार दिया गया था। बीबीपीएस के अंतर्गत भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए प्राधिकार/अनुमोदन हेतु गैर-बैंकों और बैंकों से प्राप्त आवेदन/अनुरोध प्रक्रियाधीन हैं।

वित्तीय संदेश सेवाएं

XI.14 रिज़र्व बैंक ने घरेलू वित्तीय लेनदेनों के लिए संदेश सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसआईडीएसपीएल) को अनुमोदन प्रदान किया। वर्तमान में, अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। स्विफ्ट के संदेश परिचालनों से देश में वित्तीय लेनदेनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा

IX.15 कार्ड लेनदेनों के लिए जोखिम कम करने संबंधी उपायों के भाग के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी सक्रिय कार्डों को धीरे-धीरे 31 दिसंबर 2018 तक ईएमवी चिप और पिन कार्डों में अंतरित करें। इसके अतिरिक्त, बैंक और डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संस्थापित/परिचालित मौजूदा एवं नए सभी एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर में 30 सितंबर 2017 तक ईएमवी चिप और पिन वाले कार्डों को संसाधित करने की सुविधा हो।

मोबाइल बैंकिंग

IX.16 मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) से जुड़े एटीएमों में मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहकों को पंजीकरण की सुविधा दी। इस प्रकार, मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता को समाप्त कर बैंक ग्राहक किसी भी एटीएम में पंजीकरण कर सकता है।

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर - सीसीआईएल

IX.17 जी20/एफएसबी की घोषणाओं के अनुसरण में और ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधारों पर कार्यान्वयन समूह की सिफारिशों के अनुसार सीसीआईएल को रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के लिए केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) समाशोधन शुरू करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तदनुसार, सीसीआईएल ने रुपया ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव (एएसटीआरओआईडी) में ट्रेडिंग हेतु एक अज्ञात प्रणाली की शुरुआत की है।

प्रभावी पर्यवेक्षण

वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) सिद्धांतों के प्रति तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) का आकलन

IX.18 भुगतान और बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति (सीपीएमआई) ने केंद्रीय बैंक के एफएमआई के लिए वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सिद्धांतों को लागू करने हेतु प्रकाशित किया। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एफएमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नीति ढांचे में आरटीजीएस को एक एफएमआई के रूप में पहचान की गई। एफएमआई के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के प्रति आरटीजीएस का आकलन करने की शुरुआत कर दी गई है।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी - सीसीआईएल

IX.19 अर्हताप्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्युसीसीपी) के रूप में, सीसीआईएल का पीएफएमआई के प्रति सतत आधार पर आकलन किया गया है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान सीसीआईएल का आकलन किया गया। पीएफएमआई में निर्धारित 'प्रकटन ढांचा और आकलन पद्धति' के अनुसार सीसीआईएल ने संवर्धित पारदर्शिता के उपाय के रूप में पीएफएमआई के अनुपालन करने के संबंध में अपने स्व-आकलन के बारे में स्पष्ट कर दिया। सीसीआईएल ने सीसीपी के लिए सार्वजनिक प्रकटन मानकों के अनुसार प्रकटन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सीसीआईएल ने सभी वर्गों में बहु-अवसरों पर अंतर-दिवसीय एमटीएम मार्जिन की गणना के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है।

भुगतान प्रणालियों की निगरानी - खुदरा

IX.20 23 पीपीआई के आनसाइट निरीक्षण के अतिरिक्त, खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए आकलन-प्रारूप के अनुसार खुदरा भुगतान प्रणालियों का परिचालन करने वाली अन्य 29 संस्थाओं का स्व-आकलन और उनकी समीक्षा की गई।

पीएफएमआई के कार्यान्वयन के प्रति आकलन

IX.21 सीपीएमआई और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आईओएससीओ) जो सिद्धांतों और जिम्मेदारियों दोनों के संबंध

में पीएफएमआई की निगरानी करता है, ने स्तर 1[2] के लिए भारत को '4'[1] की रेटिंग दी है। स्तर 2/3[3] आकलन उस हद तक समकक्ष समीक्षाएं हैं जिसके लिए अधिकारक्षेत्र के कार्यान्वयन उपायों की सामग्री पूर्ण है और जिम्मेदारियों के लिए पीएफएमआई के अनुरूप है और जिम्मेदारियों में भारत को स्तर 2/3 आकलनों में 'अब्जर्व्ड'[4] के रूप में रेटिंग दी गई है।

ग्राहकोन्मुखता

पीओएस पर नकदी आहरण

IX.22 बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्डों और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्डों के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) में नकदी निकालने की सीमा टीयर III और VI केंद्रों के लिए ₹1000 से ₹2000 बढ़ा दी गई है जिसमें यदि ग्राहक प्रभार लगाए गए हैं, तो वे सभी केंद्रों के लिए लेनदेन राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

आरटीजीएस सेवा प्रभार

IX.23 हाल ही में, आरटीजीएस में किए गए सुधार से टाइम-विंडों में विस्तार हुआ है और परिचालनात्मक सक्षमता में सुधार हुआ है। यह सुनिश्चित करने कि बैंकों के लिए सेवाओं का उचित रूप से मूल्यनिर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आरटीजीएस के प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया है। तथापि, अपने ग्राहकों से सदस्य द्वारा वसूल किए जाने वाले अधिकतम शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

2016-17 के लिए कार्यसूची

IX.24 विज़न-2018 में निर्धारित कार्यसूची के आधार पर वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

दंड लगाने के लिए ढांचा

IX.25 विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए दिशानिर्देश और मानक पीएसएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। सहभागियों और ऑपरेटरों द्वारा इनका पालन नहीं करने पर पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत दंड प्रावधान लगाए जा सकते हैं। पीएसएस अधिनियम के तहत इस प्रकार के दंड लगाने संबंधी ढांचा किया जाएगा।

पीपीआई दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.26 भुगतान प्रणाली के पीपीआई वर्ग में प्राधिकृत ऑपरेटरों की संख्या और इसके उपयोग दोनों के संबंध में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, पीपीआई लेनदेनों के बचाव और सुरक्षा मुद्दों, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी मुद्दों, नए प्रतिभागियों का प्रवेश, नई भुगतान प्रणालियों और चैनलों को ध्यान में रखते हुए पीपीआई दिशानिर्देशों की संपूर्ण समीक्षा करना आवश्यक समझा गया है।

डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.27 ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ निर्धारित की गई इन दिशानिर्देशों का परिणाम देश के वांछित भौगोलिक खंडों में एटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर में आवश्यक वृद्धि के रुप में नहीं हुआ है। तदनुसार,

[1] रेटिंग 1 : कार्यान्वयन उपायों का प्रारूप - अप्रकाशित ; रेटिंग 2: कार्यान्वयन उपायों का प्रारूप - प्रकाशित; रेटिंग 3 : कार्यान्वयन उपायों का अंतिम प्रारूप -प्रकाशित; रेटिंग 4 : कार्यान्वयन उपायों के अंतिम प्रारूप को पूर्ण रूप से लागू करना; रेटिंग एनए : कार्यान्वयन उपायों जरूरी नहीं (अर्थात लागू नहीं)।

[2] इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या कार्यक्षेत्रों ने विधान, विनियमन और अन्य नीतियों, जो सिद्धांतों और जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए उन्हें समक्ष बनाएंगी, को अपनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

[3] स्तर 2 इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या विधान, विनियमन और नीतियों की सामग्री पूर्ण है और सिद्धांतों और जिम्मेदारियों के अनुरूप है। स्तर 3 इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या सिद्धांतों और जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन के परिणामों में संगति है।

[4] अब्जर्व्ड : प्राधिकारी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं ; ब्रॉडली अब्जर्व्ड : प्राधिकारी मौटे तौर पर जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं; पार्ट्ली अब्जर्व्ड : प्राधिकारी अंशतः जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं; नाट अब्जर्व्ड : प्राधिकारी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहे हैं; लागू नहीं: इस जिम्मेदारी के संबंध में विशेष संस्थागत ढांचा अथवा प्राधिकारियों द्वारा सामना की गई अन्य स्थितियों के कारण जिम्मेदारी का सरोकार नहीं है।

वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएलए दिशानिर्देशों की पूरी जांच की जाएगी और लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया जाएगा।

पीएसएसी का गठन

IX.28 प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, फिन टेक, सुरक्षा समाधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व के साथ भुगतान प्रणाली परामर्शदात्री परिषद (पीएसएसी) स्थापित की जाएगी जो नई नीतियों के निर्माण और इस क्षेत्र में भविष्य केंद्रित प्रगति और नवोन्मेष के बारे में आवश्यक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराकर नए उत्पादों और समाधानों को अनुमोदित करने के लिए नए प्रौद्योगिकीय गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने में बीपीएसएस का सहयोग करेगी।

विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) को अपनाना

IX.29 एलईआई विशिष्ट रूप से वैश्विक वित्तीय लेनदेनों के लिए पार्टियों की पहचान करेगा। पिछले वित्तीय संकट के बाद ऐसी पहचान की आवश्यकता महसूस की गई। एलईआई के उपयोग से प्रणालियों में संस्थाओं के एक्सपोज़र की निगरानी सुगम बनेगी। रिज़र्व बैंक कतिपय लेनदेनों/बाजारों/संस्थानों की श्रेणियों के लिए एलईआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ढांचे की शुरुआत करेगा।

सीसीपी के लिए नीति ढांचा

IX.30 सीसीपी महत्वपूर्ण एफएमआई हैं और उनका कुशल कार्यसंचालन जरूरी है। रिज़र्व बैंक पहले ही अपने विनियामकीय अधिकारक्षेत्र के तहत एफएमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी नीतिगत ढांचे की घोषणा की है। पीएफएमआई जिनके प्रति एफएमआई का आकलन किया जाता है, प्रभावी अभिशासन ढांचा रखने और विधिक, क्रेडिट और चलनिधि जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों को नियंत्रित करने पर बल देते हैं। प्रारंभ में, रिज़र्व बैंक घरेलू सीसीपी के गवर्नेंस और उनकी पूंजी/निवल मालियत की जरुरत तथा विदेशी सीसीपी की पहचान करने के संबंध में दिशानिर्देशों जारी करेगा। बाद में, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक हुआ तो, जोखिम प्रबंध पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

बीबीपीएस और टीआरईडीएस का परिचालन

IX.31 बीबीपीएस 2016-17 के दौरान परिचालित होगा। रिज़र्व बैंक टीआरईडीएस के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अन्य प्राधिकरणों/सरकार के साथ बात करेगा।

कार्ड उपयोग को बढ़ावा

IX.32 कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में अवधारणा-पत्र पर प्राप्त फीडबैक और शुरू की जा रही पायलट परियोजना के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक देश में कार्ड भुगतानों को व्यापक रूप से अपनाए जाने को बढ़ावा देने हेतु एमडीआर पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा को देश में कार्ड सकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन पर एक अलग नीति के साथ भी पूरा किया जाएगा।

टोल संग्रह का इलेक्ट्रॉनिकरण

IX.33 टोल भुगतान जो मुख्यतः नकद भुगतान के रूप में किया जाता है, एक अन्य पक्ष है जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए थोड़े-बहुत प्रयास किए गए हैं। अखिल भारत स्तर पर अंतःप्रचालनीय परिवेश में टोल संग्रह प्रणालियों के इलेक्ट्रॉनिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और इस विज़न को हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

ग्राहक शिक्षण और जागरूकता

IX.34 रिज़र्व बैंक हितधारकों के साथ संरचित अभियान और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता तथा प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम के माध्यम से ग्राहक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगा।

ग्राहक सर्वेक्षण

IX.35 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों के विशिष्ट पहलुओं पर समयावधि में उपयोगकर्ता/ग्राहक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न हितधारकों/प्रोफेशनल से बात करेगा। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष न केवल ग्राहकों द्वारा अपनी विभिन्न भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा भुगतान उत्पादों और प्रक्रियाओं के उपयोग के बारे जानकारी उपलब्ध कराएंगे, बल्कि नीतियों की समीक्षा करने के लिए विचार भी सृजित करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.36 रिज़र्व बैंक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पहलुओं पर नीति बनाने के अलावा, डीआईटी ने रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण आईटी सिस्टमों के प्रबंधन और उनके परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें बड़े मूल्य के भुगतान और निपटान प्रणालियां शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान एक सहायक संस्था का गठन किया गया जिसका ब्यौरा बॉक्स IX.2 में दिया गया है।

2015-16 के लिए कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों का विस्तार

IX.37 केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर होने के नाते रिज़र्व बैंक सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों हेतु कार्यकुशल, सुरक्षित और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित प्रणाली के लिए प्रयास कर रहा है। इस वर्ष के दौरान, पांच राज्य सरकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी प्राप्तियों की रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग भी वर्ष 2015-16 के दौरान हासिल की गई जिसमें बहु-राज्य सरकारें सहभागी हैं।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए सहायता

IX.38 प्रस्तावित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया प्रवाह की डिज़ाइन ई-कुबेर के मानकीकृत ई-प्राप्ति मॉडल के आधार पर की गई, जिसमें रिज़र्व बैंक एक एग्रीगेटर और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए आंकड़ों की रिपोर्टिंग हेतु वन-स्टॉप स्रोत की भूमिका निभा रहा है। जीएसटीएन के साथ समन्वय करके रिज़र्व बैंक कार्य कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो कि बैंक जीएसटी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

IX.39 ग्राहकों को भौतिक रूप में सोने की खरीद न करने के लिए मनाने के प्रयास में एसजीबी योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए ई-कुबेर ने आधार प्रणाली के रूप में कार्य किया; इसने निर्गमों के रजिस्ट्रार और निक्षेपागार के रूप में भी कार्य किया। वितरक एजेंट जैसे बैंकों और डाकघरों को ई-कुबेर के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सूचना के अंतरण का आनलाइन माध्यम उपलब्ध कराया। बैंकों में पीएसएलसी के अंतरण की सुविधा देने के लिए प्रणाली शुरू की गई और यह 4 अप्रैल 2016 से परिचालन में है।

सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र (आईएसओसी)

IX.40 सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए खतरों के कारण रिज़र्व बैंक ने आईएसओसी स्थापित करने का कार्य शुरू किया है। आईएसओसी परियोजना केंद्रीकृत तत्काल पर्यवेक्षण, सुरक्षा खतरों का जल्दी पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने, भारतीय कम्प्यूटर आपातकाली कार्रवाई टीम (सीईआरटी-आईएन) जैसी बाह्य एजेंसियों के साथ मिलकर उद्यम व्यापक खतरों की अतिसक्रियता से पता लगाने और उन्हें कम करने में सक्षम बनाएगी। आईएसओसी दिसंबर 2016 के अंत तक प्रारंभ होने की संभावना है।

बॉक्स IX.2
रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी)

रिज़र्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहायक संस्था के परिचालन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। सहायक संस्था के सीईओ की नियुक्ति कर ली गई है और वर्टिकल प्रमुखों का चयन किया जा रहा है। 4 जुलाई 2016 को निगमित आरईबीआईटी आईटी प्रणालियों और वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा (संबंधित अनुसंधान सहित) पर ध्यान केंद्रित करेगी और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं की लेखापरीक्षा और आकलन में सहायता करेगी। आरईबीआईटी के अधिदेश में रिज़र्व बैंक की आईटी परियोजना या प्रणालियों में परामर्श देना, उन्हें कार्यान्वित करना और उनका प्रबंध करना भी शामिल है।

नवोन्मेष और व्यापक स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण के विचार-मंच के रूप में, इससे वित्तीय क्षेत्र के आईटी समाधानों पर नए विचार प्रस्तुत करना और भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए मजबूत और अंतःप्रचालनीय मानकों को हासिल करने के लिए आईटी मानक निर्धारण निकायों की चर्चाओं में भाग लेना भी अपेक्षित है। आरईबीआईटी में परामर्शदात्री समितियां होंगी जो वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर बैंकों की साइबर सुरक्षा, वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाओं और रिज़र्व बैंक को इसकी आईटी प्रणालियों और परियोजनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सहायक संस्था रिज़र्व बैंक की शीर्ष स्तरीय समितियों को आवधिक आधार पर रिपोर्ट करेगी, इन समितियों में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड तथा बोर्ड की आईटी उप समितियां शामिल हैं।

एनईएफटी और आरटीजीएस को उन्नत बनाना तथा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का वर्चुअलाइजेशन

IX.41 प्रणालीगत से महत्वपूर्ण और अन्य भुगतान प्रणाली एप्लिकेशन्स, आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों, जिन्हें रिज़र्व बैंक के डेटा केंद्रों में आयोजित किया जाता है, को समुचित रूप से उन्नत बनाया गया, जिससे कि वर्ष के दौरान बढ़ती मात्रा का ध्यान रखा जा सके और इस बार सबसे अधिक दैनिक 10 मिलियन एनईएफटी लेनदेन आसानी से संसाधित किए गए।

IX.42 आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कूलिंग, पावर, जगह, दक्षता और अप्रचलन की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्नयन की परियोजना शुरू की गई जिसमें वर्चुअलाइजेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। यह परियोजना, जिसमें पुराने होते नेटवर्क और सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक प्रणालियों के साथ बदलने की परिकल्पना भी की गई है, जनवरी 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मेल संदेश समाधान (एमएमएस)

IX.43 उन्नत सुरक्षा और सहज उपयोग के लिए एमएमएस को एमएस एक्सचेंज 2013 प्लेटफार्म पर कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया गया जिसमें उद्यम वॉल्ट (ईवी) और ई-मेल आर्काइव प्रणालियों सहित नई विशेषताएं हैं।

2016-17 के लिए कार्यसूची

इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस)

IX.44 न्यूनतम-कागज आधारित प्रणाली शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक में ईडीएमएस की शुरुआत की जा रही है। इससे कार्य प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव और भौतिक अभिलेखों का डिजिटाइजेशन आवश्यक हो जाएगा। इस परियोजना के लिए रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों के लिए वेंडर चयन का कार्य पूरा हो चुका है और इसे जुलाई 2017 से शुरू करने का लक्ष्य है।

मुद्रा प्रबंधन और सरकारी लेनदेन के लिए ई-कुबेर

IX.45 रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंध संबंधी कार्य को कवर करने के लिए ई-कुबेर का विस्तार किया जाएगा। इससे एकल केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर संपूर्ण और एकीकृत लेखांकन की सुविधा मिलेगी। ई-कुबेर के मानकीकृत ई-प्राप्ति और ई-भुगतान मॉडल में और अधिक राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के विभागों को शामिल किया जाएगा।